



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 04.06.2026

➤ थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्तों को चोरी की 18 बैट्री, 09 इन्वर्टर व घटना में प्रयुक्त 02 ईको कार, 03 नाजायज तमंचा 315 बोर एवं 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में आज थाना अकबरपुर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को थाना अकबरपुर क्षेत्र ग्राम जगजीवनपुर बम्बा सड़क पर 05 शातिर बैट्री चोरों को चेकिंग के दौरान पकड़ने में सफलता मिली।

दिनांक 01.06.2026 को थाना अकबरपुर पर वादी साजिद अली पुत्र खालिक अली निवासी कमीर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.05.2026 को रात्रि अज्ञात चोर बाबा सागर में बनी पानी की टंकी से मारपीट कर टंकी पर लगी बैटरियों व इन्वर्टर को ले गये थे, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 238/2026 धारा 303(2)/115(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थाना अकबरपुर पुलिस व एसओजी एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. अनुज यादव पुत्र मुन्नू सिंह निवासी बैजूपुरवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 2. पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी रोशनमऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 3. गौरव सिंह उर्फ भानुप्रताप पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम इकधरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 4. विपिन पुत्र सुनील कुमार निवासी इकधरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, 5. रामचन्द्र पुत्र अशोक यादव निवासी जैरैलापुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 04.06.2026 को जगजीवनपुर बम्बा सड़क थाना क्षेत्र अकबरपुर से हिरासत पुलिस लिया गया। जामा तलाशी में अभियुक्त 1. अनुज यादव पुत्र मुन्नू सिंह उपरोक्त के कब्जे से 01 मोबाइल वीवो कम्पनी, 2. अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश उपरोक्त के कब्जे से 01 नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 01 मोबाइल पोको कम्पनी, 3. अभियुक्त गौरव सिंह उर्फ भानुप्रताप पुत्र महेन्द्र सिंह उपरोक्त के कब्जे से 01 नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस एवं 01 मोबाइल मोटो कम्पनी, 4. विपिन पुत्र सुनील कुमार उपरोक्त के कब्जे से 02 मोबाइल रियलमी व रेडमी कम्पनी, 5. रामचन्द्र पुत्र अशोक यादव उपरोक्त के कब्जे 01 नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस एवं 01 मोबाइल इन्फिनिक्स कम्पनी का तथा अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की 18 बैट्री व 09 इन्वर्टर सहित घटना में प्रयुक्त 02 ईको कार बरामद की गयी। बरामदगी व गिरफ्तार के आधार पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को मय माल के नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. अनुज यादव उम्र करीब-25 वर्ष पुत्र मुन्नू सिंह निवासी बैजूपुरवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
2. पुष्पेन्द्र कुमार उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र ओमप्रकाश निवासी रोशनमऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
3. गौरव सिंह उर्फ भानुप्रताप उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम इकधरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
4. विपिन उम्र करीब 18 वर्ष पुत्र सुनील कुमार निवासी इकधरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
5. रामचन्द्र उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र अशोक यादव निवासी जैरैलापुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्तगण 1. अनुज यादव, 2.पुष्पेन्द्र कुमार, 3.गौरव सिंह उर्फ भानुप्रताप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं.-238/2026 धारा-309(6)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्त विपिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं.-238/2026 धारा-309(6)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।

2. मु0अ0सं0 135/2023 धारा 147/323/352/427/504 आईपीसी थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्त रामचन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं.-238/2026 धारा-309(6)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
2. मु0अ0सं0 320/2024 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
3. मु0अ0सं0 412/2024 धारा 115(2)/126(2)/352/351(2) बीएनएस व 3(1)द/3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात ।
4. मु0अ0सं0 311/2023 धारा 323/504/506 आईपीसी व 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।
5. मु0अ0सं0 387/2024 धारा 281/125ए/125बी बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।

बरादमगी-

1. 18 बैट्री ।
2. 09 इन्वर्टर ।
3. घटना में प्रयुक्त 02 ईको कार ।
4. 03 नाजायज तमंचा 315 बोर व 06 नाजायज जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
5. 06 मोबाइल ।

पूछताछ अभियुक्तगण- पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग मिलकर गाँवों के बाहर बनी पानी की टंकियों में लगे सोलर पैनल की बैटरियों व इन्वर्टरों की चोरी करते हैं और फिर उनको बेचकर रुपया कमाना चाहते थे यह बैटरियाँ व इन्वर्टर हम लोगों ने मिलकर अलग अलग जगहों से चोरी की हैं जिन्हें आज हम लोग कानपुर नगर में बेचने के लिये ले जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री हरमीत सिंह थाना अकबरपुर,
2. प्र0नि0 एसओजी श्री प्रवीन यादव मय हमराह पुलिस बल,
3. प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 श्री जय प्रकाश शर्मा मय हमराह पुलिस बल,
4. उ0नि0 श्री राम किशुन वर्मा थाना अकबरपुर,
5. उ0नि0 श्री आनन्द वीर सिंह सोलंकी थाना अकबरपुर,
6. उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह चौहान थाना अकबरपुर,
7. उ0नि0 श्री शोभित कटियार थाना अकबरपुर,
8. हे0का0 289 सुभाषचन्द्र थाना अकबरपुर,
9. का0 721 सर्वेन्द्र थाना अकबरपुर,
10. का0 711 आकाश खैवाल थाना अकबरपुर,
11. का0 620 गौरव कुमार थाना अकबरपुर,
12. हे0का0 651 शिशुपाल सिंह थाना अकबरपुर,
13. का0 09 साहिद थाना अकबरपुर,
14. का0 223 इन्द्रदेव थाना अकबरपुर,
15. का0 607 आशीष कुमार थाना अकबरपुर,
16. का0 719 मनोज कुमार थाना अकबरपुर,
17. हे0का0 578 कमल सिंह थाना अकबरपुर ।